



**कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा**  
वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401  
Telefax - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

पत्रांक - दिनांक -  
सेवा में,  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।  
विषय- टण्डवा प्रखण्ड अंतर्गत मे0 एन0टी0पी0सी0 लि0 द्वारा जलाशय एवं राख डाइक  
परियोजना निर्माण हेतु 10.24 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।  
प्रसंग- आपका पत्रांक 2150 दिनांक 17.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा मे0 एन0टी0पी0सी0, टण्डवा का जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु कुल 10.24 हे0 वनभूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है परन्तु इसके साथ FRA प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अद्यतन Guidelines दिनांक 28.03.2019 के आलोक में अंकित है- “ The entire process referred in clause(e) shall be completed by the District collector within the time period stipulated in these rules for grant of in principle approval under the Act to the proposal”

clause(e) को यहाँ निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है :-

The District Collector shall-

- (i) complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal;
- (ii) obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and
- (iii) forward his findings in this regard to the Conservator of Forests;

अतः इस मार्गदर्शिका के अनुसार stage I के approval के पूर्व ही FRA 2006 का प्रमाण पत्र के साथ इस क्रम में हुई ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही की प्रति समर्पित किया जाना अनिवार्य है। अतः आपके द्वारा समर्पित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न वापस करते हुए अनुरोध है कि उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह0/-

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।

ज्ञापांक - 921 दिनांक - 28/08/2021  
प्रतिलिपि - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।